राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1014 / 2004 / बाँसवाड़ा

1. श्री उत्तम पुत्र रूप चन्द भील
2. श्री सूरजमल पुत्र रूप चन्द भील
3. श्री घरू पुत्र रूप चन्द भील
4. श्री रामेश्वर पुत्र रूप चन्द भील
5. श्रीमती मुलकी पत्नी उत्तम
   निवासीगण छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा

....अपीलांट्स

बनाम

1. श्री दर्शन पुत्र उदीया भील
2. श्री विश्राम पुत्र उदीया भील
3. श्री मांगीया पुत्र उदीया भील
   निवासीगण छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
4. सरकार जरिये तहसीलदार बांसवाडा

....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस. के. शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 2.2.2023

निर्णय

यह अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा अपील संख्या 94 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2004 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में कथन है कि रेस्पो0 ने एक वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम छोटी सरवन तहसील बांसवाड़ा में स्थित खाता संख्या 95 की आराजी कुल किता 4 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा

होकर वादीगण की खाते एवं कब्जे की भूमि है तथा वे काबिज होकर लगान अदा करते आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादीगण उपर्युक्त आराजी में कब्जा करने की नियत से आये दिन झगड़ा करते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। इस वाद का प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 25–10–90 को वादी का वाद डिक्री किया। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा करने पर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बांसवाडा ने दिनांक 17–11–95 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इस पर वाद पुनः दर्ज करने पर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा एवं संशोधित जवाब दावे के साथ खसरा नं. 514 के लिए काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने 6 वाद बिन्दु बनाये तथा निर्णय दिनांक 27–7–2001 द्वारा वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2001 के विरूद्ध रेस्पो0/वादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील पेश की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2004 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2001 को निरस्त कर दिया तथा रेस्पो0/वादीगण के पक्ष में वाद की कलम 1 में वर्णित भूमि कुल किता 4 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा भूमि बाबत अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पक्षकारान के मध्य केवल भूमि खसरा नं. 514 के सम्बन्ध में ही विवाद था व वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वह वादग्रस्त भूमि के खातेदार कैसे बन गये, जबकि वह अपने पक्ष में भूमि का आंवटन होने के संबंध में अभिकथन करते हैं, परन्तु आवंटन का कोई आदेश उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में यह भूमि उन्हें कैसे आंवटन की गई तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किस तरह साबित होता है, कतई अंकित नहीं होने के कारण वह अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे, इस कारण तनकी सं.1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित करने में भारी गलती की है। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं के अभिकथनों में तथा गवाहान के अभिकथनों में यह सम्पुष्टि होती है कि भूमि खसरा नं. 514 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और

प्रतिवादीगण का कब्जा होने के नाते वादीगण अपने पक्ष में निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं थे, ऐसे में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2004 पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2004 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2001 को यथावत रखा जावे एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर रेस्पो0 का वाद निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–2–2004 को विधिसम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम की। तनकी संख्या 1 इस आशय की कायम की गई कि– आया वाद चरण 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 95 (नया) 11 (पुराना) के आराजी सर्वे नंबरान 514 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा लगान 2 रूपया 35 पैसा, सर्वे नंबर 1377/493 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा लगान 1 रूपया 14 पैसा, सर्वे नंबर 1486/211 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा लगान 12 पैसा एवं सर्वे नंबर 1503/493 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा लगान 1 रूपया 28 पैसा कुल खेत 4, कुल रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा कुल लगान 4 रूपया 89 पैसा वाके गांव छोटी सरवन तहसील व जिला बांसवाड़ा के वादीगण खातेदार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन हकदार है।

7. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पो. पर था। नकल जमाबंदी संवत् 2031–34 प्रदर्श ए–1 में खसरा नंबर 514, 1370/493, 1486/211 एवं 1503/493 कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पिता उदिया पिता दला के नाम अंकित है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 2009 में प्रतिवादीगण के दादा देवा पिता दीपा भील अंकित है। यही इन्द्राज संवत् 2015 की खसरा गिरदावरी में रहा। खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में खसरा नंबर 514 के सामने

खातेदार के कॉलम में 'श्री सरकार 'अंकित है। संवत् 2019 की खसरा गिरदावरी में भी 'श्री सरकार' अंकित है परन्तु आदेश नंबर 14 से उदिया पिता दला भील का अंकन खातेदार के कॉलम में किया गया तथा तब से उदिया का इन्द्राज निरन्तर दर्ज चला आ रहा है। जमाबंदी संवत् 2038 से 2040, 2040 से 2043 में वादीगण बतौर खातेदार अंकित चले आ रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी हाल एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 2050 की तुलना में खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 2017 में प्रतिवादी के दादा के नाम दर्ज इन्द्राज को ज्यादा महत्व देते हुए जमाबंदी के इन्द्राज को गलत माना है, जो उचित नहीं है। जमाबंदी अधिकार अभिलेख होने से उसमें खातेदारी अधिकारों का अंकन विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है। ऐसे में जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के विपरीत खसरा गिरदावरी के अंकन का कोई विधिक महत्व नहीं है। संवत् 2019 से निरन्तर खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदी में वादीगण खातेदार काबिज दर्ज चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 2015 में प्रतिवादी के दादा के नाम के अंकन को विधिक रूप से सही नहीं माना जा सकता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 में खातेदारी के कॉलम में देवा पिता दीपा के नीचे 'रिज्यूम जागीर' अंकित है। दूसरी ओर संवत् 2006 से 2015 में जब तक प्रतिवादी के दादा देवा का नाम अंकित था, खसरा नंबर 514 की भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई थी तथा इन वर्षो में खसरा गिरदावरी में काश्त का कोई अंकन नहीं है क्योंकि भूमि जागीर की थी, जो जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 लागू होने पर 'श्री सरकार' दर्ज की गई तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त इन्द्राज को चुनौती नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में 'श्री सरकार' के अंकन को गलत नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को विवेचित करते हुए तनकी संख्या 1 को वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है, जो उचित है।

8. तनकी संख्या 2 इस आशय की कायम की गई कि– आया वाद चरण 1 में वर्णित कृषि भूमि सर्वे नं0 514 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा लगान 2 रूपया 35 पैसा वाके ग्राम छोटी सरवन तहसील व जिला बांसवाड़ा पर प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त गत 50 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर है। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के हक में उक्त सर्वे नं0 514 के लिए स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के हकदार नहीं है।

9. उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी संवत् 2006 से 2015 तक में ही प्रतिवादीगण के दादा का नाम अंकित है। संवत् 2015 के पश्चात किसी भी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम अंकन नहीं है। ऐसे में दावा दायर करने के दिन प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 514 पर बतौर खातेदार काबिज नहीं माना जा सकता है। उक्त भूमि रिज्यूम होने से 'श्री सरकार' दर्ज की गई। संवत् 2006 से 2015 की अवधि में प्रतिवादीगण द्वारा कोई काश्त नहीं की गई ऐसे में प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त भी साबित नहीं होता है। इसके विपरीत वादीगण खसरा गिरदावरी संवत् 2019 में एवं तत्पश्चात् निरन्तर जमाबंदी में बतौर खातेदार एवं काबिज दर्ज चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने में असफल रहने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

10. तनकी संख्या 3 इस आशय की कायम की गई कि– आया वाद चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में आराजी नं0 514 वादीगण के हक में जो खातेदारी का इन्द्राज विधिक कार्यवाही अमल में लाए बिना किया जाने से विधि विरूद्ध है।

11. उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 3 के निर्णय में यह अंकित किया कि– ''अधिनस्थ न्यायालय ने सम्वत् 2006 से 2017 तक प्रतिवादी की काश्त होना माना तथा उसके बाद वादी के इन्द्राज को सही नहीं माना है जो उचित नहीं है। हमने वाद बिन्दू संख्या 1 व 2 में विवेचन कर चुके है कि उक्त भूमि जागीर अधिनियम के तहत रिज्यूम की जाकर ''श्री सरकार'' दर्ज की गई तथा बाद में वादी के पिता के खातेदारी में दी गई। यदि उक्त आवंटन / नियमन आदेश की पत्रावली तहसील में उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए वादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, एवं न ही इस तथ्य का लाभ प्रतिवादी को दिया जा सकता है कि पत्रावली उपलब्ध न होने मात्र से वादी के पक्ष भूमि आवंटन या नियमन झूंठा है। जबकि सम्वत् 2019 की खसरा गिरदावरी में लाल स्याही से तहसील के आदेश क्रमांक एवं दिनांक अंकित की गई है, जिसके आधार पर

वादीगण का नाम खसरे में अंकित किया गया है। उक्त खसरा गिरदावरी तो स्वयं प्रतिवादी ने प्रस्तुत की है। अतः इस दस्तावेज को प्रतिवादी कैसे झूंठा कह सकते है। बल्कि जब इसके आंशिक इन्द्राज के आधार पर स्वयं को खातेदारी एवं काबिज बताते है तो बाद के इन्द्राजों को इस दस्तावेज पर समग्र रूप से या तो स्वीकार करना होगा या अस्वीकार। केवल अपने पक्ष के इन्द्राज को सही तथा वादी के पक्ष में हुए इन्द्राजों को गलत नहीं कहा जा सकता है। अतः इस वाद बिन्दू को भी प्रतिवादीगण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।'' अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 पर पारित उक्त अभिमत से हम पूर्णतया सहमत हैं।

12. तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तनकी को तनकी संख्या 3 में किये गये विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है, जो उचित है।

13. तनकी संख्या 5 एंव 6 को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तनकियों को भी अन्य तनकियों पर किये गये विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए वादीगण / रेस्पो. की अपील को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–2–2004 पारित किया है, जो विधि सम्मत है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार यह अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–2–2004 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य